छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 9–8/2017/1–5 **नया रायपुर, दिनांक 7/02/2017**

प्रति,

1. **समस्त संभागायुक्त,**
   छत्तीसगढ़
2. **समस्त कलेक्टर**
   छत्तीसगढ़

विषयः–शासकीय कार्यालयों में अनाधिकृत व्यक्तियों का हस्तक्षेप के संबंध में।

––00––

एक समाचार पत्र में हाल ही में इस आशय का समाचार छपा था कि कलेक्टर को गुमराह कर तहसीलदार ने बाहरी अमला रखा हुआ है जो जमीन और दूसरे दस्तावेज छेड़छाड कर सकता है । उक्त समाचार में गैर शासकीय व्यक्तियों द्वारा राजस्व प्रशासन का संचालन करते हुए पाये जाने का उल्लेख है। इस समाचार को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गंभीरता से लेते हुए संज्ञान में लिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर बिलासपुर को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये है।

समाचार पत्र में प्रकाशित विषय गंभीर स्वरूप का है। किसी भी शासकीय कार्यालयों में गैर शासकीय व्यक्तियों से शासकीय कार्य नहीं होना चाहिए। इससे न केवल प्रशासन की व्यवस्था प्रभावित होती है बल्कि आम जनता की नजरों में प्रशासन के प्रति विश्वसनीयता घटती है। इससे शासकीय अभिलेखों में छेड़छाड़ की आशंका भी बनी रहती है।

अतः आपको कड़े निर्देश दिये जाते हैं कि अपने अधीनस्थ तहसील/विकास खंड कार्यालयों में स्वयं निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि शासकीय कार्यालयों में बाहरी व्यक्तियों से शासकीय कार्य का संचालन न हो । यदि ऐसा करते हुए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये जाते है तो उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। इस संबंध में आगामी 15 दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन संभागीय आयुक्त के माध्यम से भिजवाये।

इसे उच्च प्राथमिकता दी जावे।

7/2/17
(विवेक ढॉड)
मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन